न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-256RAAJodhpur2025-119RTA223 Bhojaram ors Vs Prataparam etc

01. भोजाराम पुत्र जैराम उर्फ जयरामाराम
02. गंगाराम पुत्र जैराम उर्फ जयरामाराम
03. भगवती चौधरी पुत्री जैराम उर्फ जयरामाराम
04. मूली चौधरी पुत्री जैराम उर्फ जयरामाराम
05. गवरीदेवी पत्नी जैराम उर्फ जयरामाराम

जातियान जाट निवासीगण–रामदेवनगर, लोहावट जाटाबास, तहसील लोहावट जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. प्रतापाराम पुत्र नारायणराम
2. जगनाथराम पुत्र नारायणराम
3. पुखराज पुत्र हुकमाराम
4. शिवप्रकाश पुत्र हुकमाराम
5. मोहनीदेवी पत्नी हुकमाराम
6. तिलोकाराम पुत्र नारायणराम

सभी जातियान जाट निवासीगण रामदेवनगर, लोहावट जाटाबास, तहसील लोहावट जिला फलोदी

7. सार्वजनिक निर्माण विभाग फलोदी जिला फलोदी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 अप्रैल 2025 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 795/2020 जैराम उर्फ जयरामाराम के कायम मुकाम बनाम प्रतापाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 25 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 795/2020 अनवान जैराम उर्फ जयरामाराम के कायम मुकाम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 अप्रैल 2025. के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 मई 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 639 रकबा 21.08 बीघा, खसरा नंबर 641 रकबा 14 बीघा, कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा ग्राम रामदेवनगर तहसील लोहावट के संबंध में धारा 88. 53 एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अप्रैल 2025 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद में प्रत्यर्थीगण द्वारा कही पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मंत्रावली वादी साक्ष्य में लम्बित चल रही थी, जिसकी जानकारी वादी को नही हो सकी, जिस कारण वादीगण समय पर साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। इसलिए न्यायहित में वादीगण को साक्ष्य का एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है, लेकिन वाद पूर्ण रूप से स्वीकार नही किया जाकर सिर्फ बंटवाड़े की इस्तदुआ तक स्वीकार किया गया है, जबकि वादीगण की घोषणा व तरमीम शुद्धि की भी इस्तदुआ होने के कारण भी वादीगण का वाद गलत रूप से निस्तारित किया गया है। वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जिससे वह अपना मामला वाद के अनुसार साबित कर सके, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी मे साक्ष्य को बन्द करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण द्वारा अपने वाद से स्पष्ट रूप से कथनों को साबित किया है, जबकि वादीगण के कथनों का प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण वादीगण का वाद सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 795/2020 अनवान जैराम उर्फ जयरामाराम के कायम मुकाम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 अप्रैल 2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश जारी किये जावे कि वाद में वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाकर पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या छः के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन में करते हुए मामला पुनः विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अपने वाद में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ–साथ वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का भी अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स साक्ष्य लिये बिना तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा घोषणा की इस्तदुआ का अनिर्णित रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री, अपूर्ण, विधिक प्रावधानो एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या छः की ओर से भी विद्वान अधिवक्ता ने मामला विधिनुसार पुनः निस्तारित किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 795/2020 अनवान जैराम उर्फ जयरामाराम के कायम मुकाम बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 अप्रैल 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर